नाबार्ड
न्यूजलेटर
खण्ड-21 दिसंबर 2010 संख्या-9

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिये राहत उपाय - अल्पावधि (मौकृप) ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करना - वर्ष 2010-11 के लिये पुनर्वित्त नीति - रास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज दर

नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों से मध्यावधि (परिवर्तन)/ पुन: चरणीकरण/ पुन:अनुसूचीकरण पर ली जाने वाली ब्याज दर अंतिम उधारकर्ता से बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से 3% कम होगी; परन्तु यह ब्याज दर न्यूनतम 6% और बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसरण के अधीन होगी. संशोधित ब्याज दर मध्यावधि (परिवर्तन)/ पुनश्चरणीकरण/ पुन: अनुसूचीकरण के लिये वर्ष 2010-11 हेतु अनुमोदित नीति के अनुसार मंजूर ऋणों के मध्यावधि (परिवर्तन)/ पुनश्चरणीकरण/ पुन: अनुसूचीकरण पर भी लागू होगी.
(राबैं.पीसीडी (पॉलिसी)/ 1383 और 1385 / ए.10 / 2010-11 दिनांक 07 दिसंबर 2010 परिपत्र सं. 237 और 238 /उऋवि- 20 और 21 /2010)

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्रों (एफएलसीसी) की स्थापना - लीड बैंकों को वित्तीय समावेशन निधि से सहायता

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्रों (एफएलसीसी) की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. इच्छुक व्यक्तियों को उनकी सुविधानुसार प्रत्यक्ष व्यक्तिश: चर्चा के साथ-साथ अन्य संचार माध्यमों, जैसे ई-मेल, फैक्स, मोबाइल आदि के माध्यम से वित्तीय परामर्श सेवाएँ देना. इन सेवाओं में ऋण लेने में जिम्मेदारी दिखाने, सक्रिय रूप से तथा समय पर बचत करने जैसे विषयों पर लोगों को शिक्षा देना और औपचारिक तथा/अथवा अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्रों से ऋण लेने वाले व्यक्तियों को ऋण संबंधी परामर्श देना शामिल है;
2. ग्रामीण इलाकों में लोगों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की जानकारी देना;
3. लोगों को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से जुड़ने के फायदों के बारे में जागरूक बनाना;
4. विपत्तिग्रस्त ऋणकर्ताओं के लिए ऋणों की पुन:संरचना की योजना तैयार करना और सहकारी संस्थाओं सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं को उन्हें अपनाने की अनुशंसा करना;
5. कोई भी ऐसा कार्यकलाप जो वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय आयोजना को प्रोत्साहित करे और लोगों को ऋणग्रस्तता की स्थिति से उबारे.

यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय सेवाओं से वंचित 256 जिलों और 10 समस्याग्रस्त जिलों में इन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए लीड बैंकों की मदद की जाए. चयनित जिलों में वित्तीय

साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र खोलने के लिए वित्तीय समावेशन निधि से सहायता निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाएगी:

1) चयनित 266 जिलों में वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र की स्थापना लीड बैंक के परिसर के बाहर की जाए.

2) बैंक यह प्रमाणपत्र दे कि वह केन्द्र किसी बैंक विशेष के ग्राहकों को नहीं, सभी ग्राहकों को सेवाएँ देगा.

3) केन्द्र के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए दो वर्ष के बाद किसी तृतीय पक्ष से उसका मूल्यांकन कराया जाए.

4) वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र के कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाएँ

5) मोबाएल एसएमएस के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम देने के लिए वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र दूरभाष सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ कर सकते हैं.

6) वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र के कार्यकलापों के चलते बैंक में खाते खोले जा सकते हैं और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं.

7) वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र में एक कॉल सेंटर खोलने की संभावना का पता लगाया जा सकता है.

8) विभिन्न उत्पादों तथा प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए स्थानीय भाषाओं में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध कराया जाए.

(संदर्भ सं.राबै.एफआईडी/ 1691 /एफ-01/ 2010-11 दिनांक 09 दिसंबर 2010 परिपत्र सं. 239 / एफआईडी- 19 / 2010)

वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि से वित्तीय समावेशन के लिए
कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन हेतु सहायता

यह निर्णय लिया गया कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन के लिए 28 कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि से 40% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और शेष राशि को प्रायोजक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा क्रमश: 50:10 के अनुपात में वहन किया जाए.

2. कोर बैंकिंग सोल्यूशन हेतु वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करें :

1. कोर बैंकिंग सोल्यूशन के लिए बैंक के प्रस्ताव की लागत को अनुमोदन प्रदान करने संबंधी बोर्ड का संकल्प;
2. कोर बैंकिंग सोल्यूशन के व्यय की 50% लागत को वहन करने के लिए प्रायोजक बैंक की सहमति;
3. 10% व्यय वहन करने के लिए बैंक की सहमति;

(संदर्भ सं.एनबी.एफआईडी / 1824 /एफआई - 01 / 2010-11 दिनांक 10 दिसंबर 2010 परिपत्र सं. 242 /एफआईडी - 21 /2010)

फिनो फिनटेक फाउंडेशन के माध्यम से वित्तीय समावेशन निधि से

बिजनेस कॉरस्पाँडेंटो / बिजनेस फैसिलिटेटरों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता

वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए साथ ही उससे होने वाले लाभों को समेकित करने के लिए अब बिजनेस कॉरस्पाँडेंटों / बिजनेस फैसिलिटेटरों का उपयोग आवश्यक हो गया है. यदि सक्षम, जानकार और प्रशिक्षित व्यक्ति जिन्हें बैंकों द्वारा बिजनेस कॉरस्पाँडेंटों और बिजनेस फैसिलिटेटरों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या बैंकों द्वारा बिजनेस कॉरस्पाँडेंट के रूप में नियुक्त एजेंसियों द्वारा ग्राहक सेवा प्रदाताओं के रूप में नियुक्त किया जा सकता है का दल बनाया जाता है तो उससे काफी सुविधा होगी. नाबार्ड ने फिनो फिनटेक फाउंडेशन के सहयोग से बिजनेस कॉरस्पाँडेंटों / बिजनेस फैसिलिटेटरों के लिए प्रमाणपत्र कोर्स के माध्यम से बिजनेस कॉरस्पाँडेंटों के क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है. फिनो फिनटेक फाउंडेशन द्वारा राज्य / जिला स्तर पर कोर्स का आयोजन किया जाएगा.

योजना की कार्यप्रणाली निम्नानुसार है :

(i) ऐसे उम्मीदवार जिन्हें बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन के प्रयोजन से बिजनेस कॉरस्पाँडेंट / बिजनेस फैसिलिटेटर के रूप में नियुक्त किया गया है या नियुक्त एजेंसी के ग्राहक सेवा प्रदाता या बैंकों द्वारा बिजनेस कॉरस्पाँडेंट के रूप में जिनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है वे पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं.

(ii) उम्मीदवारों द्वारा फिनो फिनटेक फाउंडेशन के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन निधि से सहायता प्रदान की जाएगी. योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए बैंक को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया.

(iii) 2 वर्षों की अवधि में 20000 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जानी है और प्रति बिजनेस कॉरस्पाँडेंट / बिजनेस फैसिलिटेटर प्रति दिन रु.1000/- की दर से प्रशिक्षण 3 दिनों का होगा.

(संदर्भ सं.एनबी / एफआईडी / 1960 / एफआई-47(आर) / 2010-11 दिनांक 14 दिसंबर 2010 परिपत्र सं. 250/ एफआईडी - 23 / 2010)

कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित करना और सीमा में वृध्दि

समस्त मरम्मत संबंधी सामग्रियों की लागत में बहुत वृध्दि हो जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि मरम्मत संबंधी छोटे कार्यों के ठेके प्रतियोगी कोटेशन मंगाए बिना दरों के औचित्य के आधार पर किया जा सकता है. इस हेतु अनुमोदित किए जाने की सीमा राशि रुपये 10,000/- से बढाकर रुपये 1,00,000/- कर दिया जाए. प्रत्येक कार्य के ठेके के लिए अनुमोदनकर्ता अधिकारी (ई.आर.2008 के अनुरुप) व्यय के लिए मंजूरकर्ता प्राधिकारी होगा.
(संदर्भ संख्या राबैं / परिसर / 1153 /40 पालिसी / 2010-11 दिनांक 07 दिसम्बर 2010 परिपत्र संख्या 236 /पीडी- 04 /2010)

सम्पादकीय बोर्ड-एस के मित्रा, अमरेश कुमार, पी एल बेहरा, डॉ. प्रकाश बक्शी और वी रामकृष्ण राव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बान्द्रा-कुर्ला काम्पलैक्स, मुंबई - 400 051 के लिए
***बी.जयरामन** द्वारा सम्पादित और प्रकाशित.*